मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 21, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 137 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने लेबड़ से नयागांव फोरलेन रोड की खराब डिजाइन के कारण दुर्घटनाएं बढ़ने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने इंदौर के ग्राम विचौली मर्दाना में बिना अनुमति बने भवन को तोड़े जाने,
(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम गुढ़वा में कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने तथा
(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ नगर पालिका द्वारा गिराये गये पुरातात्विक भवनों से निकले कीमती सामान को खुर्दबुर्द किये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने -
(क) वित्त लेखे वर्ष 2011-12 खण्ड I एवं खण्ड II,
(ख) विनियोग लेखे वर्ष 2011-12,
(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, राज्य वित्त पर प्रतिवेदन संख्या-I,
(घ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, क्रमांक-3 (राजस्व प्राप्तियां),
(ङ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, क्रमांक-4 (वाणिज्यिक) तथा
(च) भारत के नियंत्रक- महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल)

पटल पर रखे।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने –
(क) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2007-08 तथा
(ख) मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2008-09

पटल पर रखे।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने –
(क) (i) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12
(ii) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12,
(iii) दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 तथा
(ख) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण, वर्ष 2011-12

पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) श्री अजय सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरूषोत्तम दांगी एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण ने भोपाल के साउथ टी.टी. नगर स्थित शासकीय भूमि को नियमों के विपरीत निजी कंपनी को आवंटित करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आकर बैठ गए। सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के वातावरण में कार्यवाही जारी रही)

(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद एवं इटारसी के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कालोनियों का निर्माण किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि का भुगतान न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य ने ग्वालियर के रायरू स्थित डी.पी.एस. स्कूल में अध्ययनरत छात्रा को बगैर कारण निष्कासित किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री नानाभाऊ मोहड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई:-

(1) श्रीमती साधना स्थापक (जिला- नरसिंहपुर)
(2) श्री रामगरीब कोल (जिला-रीवा)
(3) श्री रामदयाल अहिरवार (जिला-छतरपुर)
(4) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके (जिला-बैतूल)
(5) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(6) श्री ताराचन्द बावरिया (जिला-छिंदवाड़ा)
(7) श्री अभय कुमार मिश्रा (जिला-रीवा)
(8) श्री ब्रजराज सिंह (जिला-श्योपुर)
(9) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)
(10) सुश्री मीना सिंह (जिला-उमरिया)

6. शासकीय संकल्प

प्रदेश के ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने विषयक

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि –

''प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2002-03 के सर्वेक्षण के अनुसार 54.68 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं. इस समय कच्चे कवेलू को आवास की परिभाषा में लिया गया था. अत: कुल आवासहीन परिवार 2.08 लाख एवं कच्चे आवासधारी 35.54 लाख परिवार, इस प्रकार कुल आवासहीन परिवार 37.62 लाख थे. इसका असर मध्यप्रदेश में इंदिरा आवास योजना में अत्यधिक कम लक्ष्य रहा.

शासन द्वारा जनगणना 2011 में सुधार हेतु प्रयत्न किया गया, इसके अनुसार प्रदेश में 1.11 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें से 71.38 लाख परिवारों के आवास की छत घास-फूस, टाट, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पोलेथिन एवं हाथ से बने कच्चे कवेलू से बनी हैं तथा 72.15 लाख परिवारों के आवास की दीवारें मिट्टी, कच्ची ईटों एवं लकड़ी आदि से बनी है.

जनसंख्या एवं गरीबी रेखा के आवासहीन परिवारों की संख्या के अनुसार प्रदेश को इंदिरा आवास योजना में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में असम को 184408, बिहार को 816305, उत्तर प्रदेश को 368322, गुजरात को 136470, महाराष्ट्र को 167379 एवं मध्यप्रदेश को मात्र 84358 इंदिरा आवास का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ हैं.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली प्रदेश की जनता के जीवन को उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जाये, इस हेतु जनगणना 2011 के सर्वे के आधार पर केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 3.83 लाख, वनाधिकार पट्टाधारियों को लाभान्वित करने के लिए 1.60 लाख एवं इंदिरा आवास-होमस्टेड हेतु 2.00 लाख आवासों की अतिरिक्त मांग भारत सरकार से की जाए.

मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण आवासहीन परिवारों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पक्के आवास मिले, इसके लिए केन्द्र सरकार से राज्य को प्रति वर्ष 3.83 लाख इंदिरा आवासों का लक्ष्य स्वीकृत किया जाये. जिससे कि प्रदेश के सभी ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराया जा सके.''.

इस संकल्प पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री ओम प्रकाश सकलेचा (चर्चा जारी)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में निरन्तर व्यवधान के कारण अपराह्न 12.30 बजे कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(अपराह्न 12.30 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

7. अध्यक्षीय व्यवस्था
ध्यानाकर्षण पर अधिक प्रश्न करने की मांग किए जाने विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष महोदय, डॉ. गोविन्द सिंह एवं कांग्रेस पक्ष के अन्य माननीय सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण क्रमांक (1) पर शासन से पूरा जवाब दिलाने की मांग करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई :-

(1) ''मैंने पूरे जवाब दिलाए हैं। ध्यानाकर्षण पर चर्चा में समय की पाबन्दी है, तथापि नेता प्रतिपक्ष सहित मैंने सबको अवसर दिया है। आप जो चाह रहे थे, वह मैं नहीं कहलवा पाया, यही मैं नहीं कर पाया। संसदीय परम्पराओं का मान रखिये। संसदीय परम्परा यह है कि आपको और उनको (पक्ष-विपक्ष को) अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है लेकिन प्रश्नों का उत्तर आपकी इच्छा अनुरूप ही आ जाए, यह सम्भव नहीं है। डॉ. गोविन्द सिंह जी, आप पहले 10 साल सरकार में मंत्री रहे हैं और तब मैं दोनो बार विधायक था। आप जब जवाब देते थे तो विपक्ष के सदस्यगण भी आपकी बात को मानते थे। यह नहीं कहते थे कि यही जवाब दो। आप आज की कार्यवाही को उठाकर देख लें, मैंने सारे सवालों के जवाब दिलाये हैं। इस ध्यानाकर्षण पर तीन गुना समय दिया गया है और हर प्रश्न का जवाब आया है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 138 (2) में ''स्पष्ट लिखा है कि – ''ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा (किन्तु प्रत्येक सदस्य, जिनके नाम से कार्यसूची में वह मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।'' यह सदन अधिकारों से नहीं, नियम से चलेगा। एक सदस्य को एक प्रश्न पूछने का अधिकार ध्यानाकर्षण में नियमानुसार है, मैंने 15 प्रश्न पूछने दिए हैं। दूसरी कार्यवाही भी महत्वपूर्ण है किसी एक ही विषय पर चर्चा के लिए आप इतना आग्रह नहीं करे, यह मेरी प्रार्थना है।''

विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा पुन: चर्चा की मांग उठाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था भी दी गई :-

(2) ''यह विषय समाप्त हो गया है, अब इस पर पुन:चर्चा नहीं हो सकती है आप चाहें तो मैं ''संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार'' (कौल एवं शकधर) का उद्धरण बता दूँ। आपने अपना कर्तव्य पालन दृढ़ता से किया है। आज कार्यवाही 12.30 बजे स्थगित की थी, अब पुन: इस पर चर्चा अंतराल के बाद नहीं हो सकती है क्योंकि वह विषय पूर्ण हो चुका है। अब इस विषय को कानूनी रूप से रि-ओपन नहीं कर सकते''

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अध्यक्षीय व्यवस्था से सहमत होने तथा माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर गलत होने सम्बन्धी उल्लेख करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था दी गई :-

(3) ''यदि किसी उत्तर से असहमत हैं, संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजने के लिए लिख कर देंगे तो मैं स्वीकार करके परीक्षण हेतु भेजूंगा। प्रश्न एवं संदर्भ समिति में सभी दलों के सदस्यगण रहते हैं वे जो निर्णय करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों द्वारा जो प्रूव्ड सिस्टम बनाया गया है कृपया उस परिपक्व व्यवस्था का अनुमोदन करें। हमें जो विरासत में पद्धति मिली है हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं। ये नियम बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिए है। मैं अभी इस चर्चा को एलाऊ नहीं कर रहा हूँ।''

कार्यवाही में निरन्तर व्यवधान, नारेबाजी एवं शोरगुल के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत शासकीय संकल्प पर चर्चा प्रारम्भ करने हेतु बार-बार अनुरोध करते हुए यह व्यवस्था दी गई कि –

(4) ''मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे विधान सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, आशीर्वाद दें, मूल्यवान समय दें। इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। इसलिए मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि आप मेरी बात पर ध्यान दें। मैं दुखी होकर व्यवस्था दे रहा हूँ, आप मेरी व्यवस्था की उपेक्षा करके अपनी बात कहे जा रहे हैं। यह मान्य सिद्धांत है कि अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद कोई बाद विवाद नहीं होता है इस तथ्य को सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसी में आपका, विधानसभा एवं प्रदेश का भी हित है। मैंने पूर्व में भी व्यवस्था दे दी है कि यह प्रकरण पूर्व में ही समाप्त हो चुका है। अब इस पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती है। अत: मुझे सहयोग दें, मेरी आपसे प्रार्थना है। कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है। ध्यानाकर्षण पर मैंने पूरे जवाब दिलाए हैं उस समय भी हमने आपसे प्रार्थना की थी कि अपने स्थानों पर वापस जाएं। आप लोग नहीं गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बराबर आग्रह करता रहा हूँ। मैंने तो आपसे (नेता प्रतिपक्ष महोदय से) भी आग्रह किया कि आप जमीन पर (गर्भगृह में) न बैठें। मेरे संसदीय ज्ञान में प्रतिपक्ष का नेता कभी भी जमीन पर नहीं बैठा है। आज यह मर्यादा भी टूटी है, क्या करूं ! मैं तो बहुत दुखी हूँ। जो विषय समाप्त हो गया मैं उस पर पुन: चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया विधान सभा की कार्यवाही चलने दें। विपक्ष के व्यवहार के कारण विधान सभा स्थगित होने पर जनता में नाराजगी होगी। अत: मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि व्यवधान उपस्थित न करके, सदन की कार्यवाही चलने दी जाए ''।

कार्यवाही में निरन्तर व्यवधान, नारेबाजी एवं शोरगुल करने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 2.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 22, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 12 दिसम्बर, 2012